संख्याः 3/2025/57/35-4-2025/35-4099/166/2023

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्तय सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांकः 17 जनवरी,2025

विषय वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य की लागत पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-गोरखपुर में शासनादेशसंख्या-822/2023/2846/35-4-2023/35-4099/166/2023 दिनांक 20.11.2023द्वारा स्वीकृत 01 कार्य यथा-**गोरखपुर सोनौली मार्ग पर लगन मैरेज हाल से मान सरोवर मंदिर से होते हुए गोरखनाथ ओवरब्रिज तक सी0सी0रोड, नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य (लम्बाई-2.0 किमी0)** की रू. 381.22 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा पत्र संख्या-749/त्व0आ0वि0यो0/2024-25 दिनांक 07 अक्टूबर,2024 के माध्यम से की गयी संस्तुति के क्रम में एतदद्वारा उक्त कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को रू0 408.17 लाख (रूपये चार करोड़ आठ लाख सत्तरह मात्र) की लागत पर पुनरीक्षित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि यथासमय नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध होने पर निर्गत की जायेगी।

3- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 20.11.2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी एवं उक्त सन्दर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्याः 3/2025/57(1)/35-4-2025/35-4099/166/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त गोरखपुर।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11- वित्तं व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैअतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारीगोरखपुर।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गोरखपुर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैअतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।